भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2950
(18 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमजीएसवाई के तहत नई ग्रामीण सड़कें

2950. श्री अशोक कुमार रावत:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के लिए नई ग्रामीण सड़कों के निर्माण हेतु जिलावार प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ ग्रामीण सड़कों पर उक्त कार्य लंबित है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (घ): उत्तर प्रदेश राज्य को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) चरण- I, II और III के अंतर्गत बनायी जाने वाली सड़कों और पुलों के कुल निर्धारित लक्ष्य की सम्पूर्ण स्वीकृति दी जा चुकी है । वर्ष 2000 में पीएमजीएसवाई की शुरुआत से लेकर अब तक , उत्तर प्रदेश राज्य को कुल 77,403 कि.मी की सड़क लंबाई स्वीकृत की गई है और इसमें से राज्य द्वारा अब तक 74,985 कि.मी सड़क लंबाई पूर्ण की जा चुकी है।

राज्य ने पीएमजीएसवाई-III के अंतर्गत पूर्व में स्वीकृत कार्यों में से निरस्त किए गए कार्यों की ऐवज़ में 46.8 कि.मी लंबाई वाली 7 सड़कों और 1 एलएसबी को स्वीकृत प्रदान करने हेतु एक नया प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। जिलेवार ब्यौरा निम्नानुसार है:

जिला	सड़कों की संख्या	लंबाई (किमी)
देवरिया	01	8.2
फतेहपुर	01	6.275
गोरखपुर	04	27.02
लखनऊ	01	5.35
कुल	**07**	**46.845**

जिला	एलएसबी की संख्या	लंबाई (मीटर में)
लखीमपुर- खीरी	01	60

इसके अलावा, 11 सितंबर, 2024 को पीएमजीएसवाई-IV के नाम से एक नया घटक लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य 2011 की जनगणना के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में 500 से अधिक आबादी और पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों , विशेष श्रेणी के क्षेत्रों (जनजाति अनुसूची-V, आकांक्षी जिले/ब्लॉक, रेगिस्तानी क्षेत्र) में 250 से अधिक आबादी और वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित जिलों में 100 से अधिक आबादी वाले संपर्क रहित बसावटों को बारहमासी संपर्कता प्रदान करना है। यह योजना 2024-25 से 2028-29 तक 70,125 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ लागू की जाएगी , जिसका लक्ष्य 25,000 संपर्क रहित बसावटों को संपर्कता प्रदान करना है। केन्द्र सरकार इस योजना के अंतर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत करने में सुविधा प्रदान करने के लिए राज्यों के साथ गहन समन्वय के साथ काम कर रही है।

****